ALL INDIA JAIN MINORITY CELL (AIJMC)
ऑल इंडिया जैन मायनोरीटी सेल

AIJMC
to empower the community

राष्ट्रीय मुख्यालय : दिल्ली, प्रशासकीय कार्यालय : 'बिझनेस हाऊस', १६७७, ई मेन रोड, राजारामपुरी १० वी गली, कोल्हापूर - ०८ (महाराष्ट्र), फोन नं. ०२३१ -२५२५२५१, फॅक्स : ०२३१ - २५२२२०१

ई मेल : jainminoritycell@gmail.com वेब : www.jainminoritycell.org

जैन समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्याक दर्जा से प्राप्त होने वाले लाभ

जैन समाज अपने आप में पूर्ण एवं सम्पन्न है। जैन समाज को राष्ट्रीय अल्पसंख्याक का दर्जा अपने धर्म को सरंक्षण प्राप्त करने हेतू चाहिए। प्राचीन काल के कई धार्मिक ग्रन्थों से भी यह ज्ञात होता है कि जैन धर्म सबसे पुरातन धर्म है । किसी जमाने में तो केवल जैन धर्म ही था । जैन धर्म के कठोर नियमों के कारण ही प्राचीन समय से जैन धर्मी इस धर्म से अलग होते चले गए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जैन समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किये जाने के बाद हमें कुछ प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी जिससे अहिंसा के अनुयायी इस समुदाय को अपने धर्म के अस्तित्व एवं धर्मस्थलों को सम्मानपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक बनाए रखने की संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी ।

- जैन धर्म की सुरक्षा होगी।
- जैन धर्म की नैतिक शिक्षा पढाई कराने का जैन स्कूलों को अधिकार ।
- जैन कॉलिजों में जैन बच्चों के लिए ५०% आरक्षित सीटें होगी ।
- जैन धर्मावलम्बियों के धार्मिक स्थल, संस्थाओ, मन्दिरों, तीर्थ क्षेत्रों एवं ट्रस्टो का सरकाररीया अधिग्रहण आदि नहीं किया जा सकेगा अपितु धार्मिक स्थलों का समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध शासन द्वारा भी किए जाएंगे।
- उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम १९१९ (४२ ऑफ - १८.९.१९९१) के तहत किसी धार्मिक उपासना स्थल के स्वरुप को बनाए रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जिसका उल्लंघन धारा ६ (३) के आधीन दंडनीय अपराध है ।
- पुरातन स्थलों एवं पुरातन धरोहरों को सुरक्षित रखना सन १९५८ के अधिनियल की धारा १९ एवं २० के तहत संविधान द्वारा सुरक्षित है ।
- समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्टो की सम्पत्ति को किराया नियन्त्रण अधिनियम से भी मुक्त रखा जायेगा, जिससे किरायेदार से सम्पत्ति को आसानी से खाली करवाया जा सकता है ।
- जैन धर्मावलम्बी अपनी प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व एवं धर्मायतनों का संरक्षण कर सकेंगे ।
- जो प्रतिभावान अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं तो उनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को १० वी, १२ वी का शिक्षण शुल्क एवं अन्य लिया जाने वाला शुल्क पूर्णत: माफ कर दिया जायेगा।
- जैन मन्दिरों, स्थानक, तीर्थ स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओ इत्यादि के प्रबन्ध की जिम्मेदारी समुदाय के हाथ में ही रहेगी।
- शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जायेगा ।
- विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोंचिग कॉलेजों मे समुदाय के विद्यार्थियों को फीस कम या माफ होने की पात्रता होगी।
- सरकार द्वारा जैन समुदाय को स्कूल, कॉलेज, छात्रत्तवास, शोध या प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु सभी सुविधायें एवं रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवायी जायेंगी ।
- जैन समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु अनुदान मिल सकेगा
- जैन समुदाय द्वारा संचालित जिन संस्थाओं पर कानून की आड में बहुसंख्यकों ने कब्जा जमा रखा है, उनसे मुक्ति मिलेगी ।
- जैन धर्मावलम्बी द्वारा पुण्यार्थ, प्राणी-सेवार्थ, शिक्षा इत्यादि हेतु दान-धन कर से मुक्त होगा।
- अल्पसंख्यांक समुदाय के धार्मिक स्थलों के समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध शासन द्वारा किए जायेंगे।
- अल्पसंख्यांक वर्ग युवाओं में खेलकुद व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतु अनुदान एवं छात्रवृतियों में विशेष प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा, ताकि गरिबी रेखा से नीचे आने वाले या आर्थिक स्थिती से कमजोर वर्ग का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।
- अल्पसंख्यांक समुदाय के लिए कराए गए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के सर्वेक्षण के आधार पर रोजगार मूलक योजनाओं

ALL INDIA JAIN MINORITY CELL (AIJMC)
ऑल इंडिया जैन मायनोरीटी सेल

AIJMC
to empower the community

राष्ट्रीय मुख्यालय : दिल्ली, प्रशासकीय कार्यालय : 'बिझनेस हाऊस', १६७७, ई मेन रोड, राजारामपुरी १० वी गली, कोल्हापूर – ०८ (महाराष्ट्र), फोन नं. ०२३१ –२५२५२५१, फॅक्स : ०२३१ – २५२२२०१

ई मेल : jainminoritycell@gmail.com वेब : www.jainminoritycell.org

भारत सरकार की अल्पसंख्यक विकास योजनाएँ

शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएँ

१. मॅट्रीक – पूर्व छात्रवृत्ति कक्षा १ ली से १० वी तक
२. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति – कक्षा ११ वी से पी.एच.डी तक
३. मैरिट एवं साधन (एमसीएम) आधारित छात्रवृत्ति योजना – स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ती।
४. मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) – एम.फिल और पी.एच.डी. जैसी उच्चतर शिक्षा में अध्ययन के लिए अध्येतावृत्ति
५. नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं संबध्द योजना – आर्थिक दृष्टी से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी / निजी क्षेत्र में नौकरियों और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश कराने में सहातया।
६. नई उडान – संघ सेवा आयोग, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परिक्षा में चयनित अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना
७. पढो परदेश – अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

मौलाना आझाद शिक्षा प्रतिष्ठान

८. मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्तियाँ – १० वीं पास मेधावी छात्राओं को ११ वीं और १२ वीं कक्षा में आगे पढाई करने के लिए छात्रवृत्ती
९. गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान – शैक्षिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक बहुल्य वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक ढांचा तथा सुविधाएं प्रदान और विकसित करने को सहायता अनुदान।
१०. नालंदा परियोजना – अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम

क्षेत्र विकास योजनाएँ

११. प्रधानमंत्री का नया १५ सूत्रीय कार्यक्रम (१५–पीपी) – अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के आबंटन की परिकल्पना
१२. जन विकास कार्यक्रम – बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) – अल्पसंख्यकों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रीत रखने के लिए कार्यक्रम।

महिला सशक्तीकरण योजना

१३. नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास योजना – अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकारी प्रणालियों बैंको और अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया करने की योजना।

कौशल विकास योजना

१४. सीखो और कमाओ – अल्पसंख्यकों का कौशल विकास – अल्पसंख्यांक युवाओं के कौशलों में उन्नयन करने की योजना

आर्थिक सशक्तीकरण योजना

१५. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ऋण योजनाएं – कृषि एवं उससे संबंधित, तकनीकी व्यवसाय, लघू व्यापार, कारीगर एवं पारंपारिक व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में ऋण योजनाएँ।
१६. एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनाएं

अनुसंधान/मीडिया योजना

१७. अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं प्रचारसहीत योजनाओं के विकास की समीक्षा – विकास योजनाओं के प्रचार सहित अनुसंधन/अध्ययन, निगरानी और मुल्यांकन की योजना।

सेहत योजना

१८. मौलाना आजाद सेहत स्कीम